भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1134**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 दिसम्बर, 2023/17 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है।

भारत में उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की स्थिति

1134. श्रीमती सुमलता अम्बरीश:
श्री डी. के. सुरेश:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की राज्य-वार और वर्ष-वार स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार को देश में उर्वरकों की आपूर्ति में कमी की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने देश में उर्वरकों के उत्पादन और उपलब्धता में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): देश में पिछले तीन वर्ष के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की स्थिति का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-क में दिए गए अनुसार है।

(ख) और (ग): चालू रबी 2023-24 मौसम के दौरान देश भर में उर्वरकों की उपलब्धता सहज रही है।

(घ) और (ड.): भारत सरकार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करती है। स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुकर बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की थी। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनसे देश की मौजूदा स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता में कुल मिलाकर 76.2 एलएमटी प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने अपने उद्देश्यों में से स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने के एक उद्देश्य के साथ 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 की शुरूआत भी की। इसके परिणामस्वरूप देश का स्वदेशी उत्पादन 2014-15 के 225.08 एलएमटी से बढ़कर 2022-23 में 284.95 एलएमटी हो गया है।

इसके अतिरिक्त, पीएंडके उर्वरकों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. उर्वरक विभाग ने मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड यूनिट-II, बांदा सागर, मध्य प्रदेश को 2,40,000 एमटी प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता के साथ डीएपी/एनपीके के उत्पादन की अनुमति दी।

2. उर्वरक विभाग ने मेसर्स कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड, मध्य प्रदेश को 3,30,000 एमटी प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता के साथ डीएपी/एनपीके के उत्पादन की अनुमति दी।

3. पीडीएम अथवा शीरे से प्राप्त पोटाश (0-0-14.5-0) को एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किया गया है।

4. खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल), एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फैगमिल) और संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत में डीएपी और अन्य उर्वरकों के कच्चे माल के लिए खनिजों की खोज करना एक सतत प्रक्रिया है।

*****

अनुलग्नक-क

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सभी उर्वरकों की मांग, आपूर्ति और खपत

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			**डीएपी**			**एमओपी**			**एनपीकेएस**		
क्र.सं.	**राज्य**	**मांग**	**आपूर्ति**	**खपत**	**मांग**	**आपूर्ति**	**खपत**	**मांग**	**आपूर्ति**	**खपत**	**मांग**	**आपूर्ति**	**खपत**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	16.65	18.39	15.87	4.20	5.43	4.64	3.09	1.42	1.18	15.97	16.27	13.73
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.85	4.07	3.56	0.85	0.83	0.63	0.75	0.58	0.47	0.26	0.22	0.19
5	बिहार	22.80	24.68	21.96	6.82	7.15	5.66	2.16	1.55	1.26	3.72	5.35	4.25
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.74	10.57	8.38	3.70	4.68	3.14	1.01	0.77	0.56	1.45	1.63	1.06
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.20	0.32	0.28	0.04	0.06	0.05	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
12	गुजरात	24.00	27.30	24.73	5.50	7.48	6.10	1.15	0.91	0.81	5.85	7.08	5.23
13	हरियाणा	21.50	23.68	20.46	5.70	6.48	5.59	0.60	0.43	0.35	0.70	0.30	0.26
14	हिमाचल प्रदेश	0.76	0.85	0.74	0.02	0.02	0.02	0.07	0.07	0.04	0.39	0.41	0.35
15	जम्मू और कश्मीर	1.68	1.93	1.60	0.59	0.60	0.48	0.40	0.23	0.17	0.04	0.00	0.00
16	झारखंड	2.60	3.04	2.56	1.00	0.89	0.77	0.20	0.05	0.04	0.46	0.52	0.45
17	कर्नाटक	17.20	22.22	18.21	5.90	8.44	6.21	3.00	1.68	1.41	17.16	21.53	16.67
18	केरल	1.23	1.32	1.12	0.20	0.22	0.19	1.07	0.86	0.78	1.42	1.32	1.02
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.00	36.94	32.39	18.50	17.61	13.85	1.57	0.76	0.62	4.85	6.25	4.79
21	महाराष्ट्र	25.29	30.39	24.66	8.20	9.34	7.18	4.30	1.68	1.38	23.50	28.89	20.46
22	मणिपुर	0.22	0.35	0.31	0.12	0.04	0.04	0.12	0.05	0.04	0.00	0.03	0.03
23	मेघालय	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.11	0.10	0.06	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.84	7.08	5.60	2.69	2.55	1.94	1.35	0.84	0.61	3.05	3.26	2.63
27	पुदुचेरी	0.15	0.18	0.17	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.07	0.09	0.06
28	पंजाब	29.25	34.90	29.45	7.25	8.46	7.17	0.90	0.49	0.41	1.70	0.71	0.58
29	राजस्थान	21.50	27.91	25.17	7.40	9.70	8.47	0.30	0.18	0.14	0.95	0.85	0.72
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	9.96	11.38	10.05	2.73	3.49	2.76	2.53	1.85	1.65	6.45	9.19	7.38
32	तेलंगाना	18.39	21.63	18.83	3.55	4.70	3.71	2.27	0.86	0.74	15.16	16.24	12.90
33	त्रिपुरा	0.27	0.28	0.19	0.05	0.02	0.02	0.09	0.06	0.02	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	2.20	2.38	2.05	0.35	0.64	0.52	0.09	0.07	0.03	0.35	0.15	0.11
35	उत्तर प्रदेश	77.50	87.39	74.72	24.70	27.69	22.38	3.36	1.42	1.22	7.00	6.64	4.79
36	पश्चिम बंगाल	14.25	16.49	14.05	4.05	4.36	3.77	3.70	2.70	2.36	10.12	11.16	9.61
	अखिल भारत	**359.19**	**415.82**	**357.26**	**114.20**	**130.93**	**105.31**	**34.17**	**19.55**	**16.32**	**120.69**	**138.15**	**107.31**

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सभी उर्वरकों की मांग, आपूर्ति और खपत													
													आंकड़े एलएमटी में
		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	राज्य	मांग	आपूर्ति	खपत	मांग	आपूर्ति	खपत	मांग	आपूर्ति	खपत	मांग	आपूर्ति	खपत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	17.00	17.08	14.83	4.45	3.79	3.60	3.00	1.97	1.78	17.00	15.93	13.99
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.85	4.00	3.60	0.89	0.68	0.52	0.85	0.62	0.55	0.17	0.25	0.19
5	बिहार	22.00	22.79	21.53	7.50	5.82	5.52	2.50	1.52	1.38	4.00	4.44	3.96
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	7.00	9.66	8.00	3.80	3.69	3.53	1.01	1.09	0.83	1.30	1.46	1.31
8	दादरा और नगर हवेली	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.20	0.30	0.26	0.04	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03
12	गुजरात	24.00	24.93	21.90	5.00	5.43	5.00	1.20	1.22	1.09	5.95	7.35	6.69
13	हरियाणा	20.50	23.26	20.75	6.00	5.33	4.96	0.56	0.67	0.57	0.70	0.63	0.54
14	हिमाचल प्रदेश	0.79	0.90	0.74	0.02	0.01	0.00	0.08	0.10	0.04	0.38	0.34	0.19
15	जम्मू और कश्मीर	1.43	2.11	1.67	0.80	0.57	0.44	0.40	0.25	0.19	0.03	0.02	0.00
16	झारखंड	2.60	3.01	2.57	1.00	0.97	0.91	0.20	0.05	0.01	0.46	0.49	0.45
17	कर्नाटक	16.50	21.04	17.84	6.54	6.37	5.73	3.17	2.74	2.54	17.20	20.82	18.72
18	केरल	1.22	1.29	1.15	0.20	0.14	0.14	1.10	0.86	0.77	1.45	1.43	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	35.00	33.01	29.18	19.50	12.54	12.03	1.80	1.31	1.18	4.35	5.31	4.96
21	महाराष्ट्र	25.50	28.29	23.68	8.50	6.42	5.87	4.50	3.63	3.26	21.50	28.97	25.75
22	मणिपुर	0.27	0.24	0.14	0.14	0.03	0.01	0.14	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.03	0.01	0.06	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.64	6.36	5.53	2.68	2.51	2.37	1.43	1.17	1.07	2.80	2.77	2.49
27	पुदुचेरी	0.12	0.15	0.15	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.07	0.08	0.07
28	पंजाब	28.00	34.95	31.34	8.00	6.58	6.27	1.00	0.87	0.64	0.76	1.47	1.21
29	राजस्थान	21.00	25.43	22.59	7.70	6.59	6.10	0.30	0.31	0.24	0.63	1.23	1.20
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.10	10.85	10.40	2.90	2.56	2.39	3.00	2.80	2.53	6.92	9.25	8.17
32	तेलंगाना	19.00	19.19	17.12	4.20	3.14	2.98	3.10	1.50	1.39	18.60	15.07	13.24
33	त्रिपुरा	0.27	0.32	0.18	0.05	0.04	0.01	0.09	0.05	0.01	0.02	0.03	0.01
34	उत्तराखंड	2.16	2.30	2.09	0.32	0.43	0.31	0.09	0.09	0.04	0.30	0.24	0.22
35	उत्तर प्रदेश	78.00	82.30	71.12	29.50	23.75	21.20	3.80	2.12	1.91	8.00	6.78	6.36
36	पश्चिम बंगाल	14.23	15.84	13.30	4.05	3.03	2.70	3.70	2.09	1.89	10.12	11.30	10.34
	अखिल भारत	**356.53**	**389.68**	**341.73**	**123.90**	**100.49**	**92.64**	**37.10**	**27.06**	**23.93**	**122.74**	**135.74**	**121.37**

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सभी उर्वरकों की मांग, आपूर्ति और खपत													
													आंकड़े एलएमटी में
		यूरिया			**डीएपी**			**एमओपी**			**एनपीकेएस**		
क्र.सं.	**राज्य**	**मांग**	**आपूर्ति**	**खपत**	**मांग**	**आपूर्ति**	**खपत**	**मांग**	**आपूर्ति**	**खपत**	**मांग**	**आपूर्ति**	**खपत**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	17.50	18.84	15.92	4.00	4.66	4.21	2.80	3.60	2.94	13.50	19.78	17.27
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	4.15	4.11	3.46	0.83	0.92	0.79	0.82	0.99	0.80	0.20	0.17	0.14
5	बिहार	22.00	26.21	23.30	7.00	8.93	8.12	2.50	3.44	2.61	3.50	4.58	3.63
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	6.50	11.08	9.17	3.35	5.42	4.51	1.01	1.52	1.12	1.60	1.72	1.19
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.23	0.24	0.22	0.05	0.04	0.04	0.02	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03
12	गुजरात	24.00	26.22	23.82	5.00	7.02	6.55	1.30	1.70	1.51	5.35	9.48	7.79
13	हरियाणा	21.00	23.64	21.52	6.30	6.86	6.32	0.70	0.98	0.60	0.40	0.35	0.23
14	हिमाचल प्रदेश	0.70	0.88	0.72	0.02	0.02	0.02	0.09	0.12	0.08	0.41	0.45	0.34
15	जम्मू और कश्मीर	1.43	2.58	2.16	0.79	0.93	0.80	0.26	0.60	0.48	0.00	0.04	0.02
16	झारखंड	2.60	3.07	2.58	1.00	1.27	1.08	0.11	0.07	0.05	0.38	0.44	0.36
17	कर्नाटक	16.50	20.62	16.43	6.50	7.97	6.82	3.15	4.57	3.35	14.15	23.28	18.24
18	केरल	1.13	1.51	1.27	0.19	0.22	0.21	0.85	1.28	1.09	1.25	1.72	1.44
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	31.00	34.73	30.18	13.55	18.04	16.07	1.50	2.03	1.50	3.75	4.85	3.98
21	महाराष्ट्र	25.00	29.76	24.62	7.00	9.44	8.17	4.50	5.43	4.09	21.00	35.89	26.89
22	मणिपुर	0.27	0.24	0.22	0.16	0.06	0.04	0.14	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.02	0.02	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.65	6.66	5.27	2.20	2.82	2.52	1.30	1.81	1.38	2.80	3.26	2.65
27	पुदुचेरी	0.13	0.15	0.14	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.04	0.11	0.09
28	पंजाब	28.30	32.85	29.37	8.25	8.87	7.73	1.50	1.21	0.85	0.76	0.47	0.36
29	राजस्थान	22.00	25.78	23.21	8.00	9.72	9.17	0.30	0.46	0.32	0.55	0.76	0.64
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.00	11.58	9.88	3.25	3.07	2.72	3.10	3.88	3.07	6.30	9.08	7.38
32	तेलंगाना	19.50	22.20	17.54	2.70	3.62	3.14	2.60	3.00	2.47	13.50	18.38	15.18
33	त्रिपुरा	0.25	0.25	0.14	0.06	0.07	0.05	0.10	0.07	0.04	0.02	0.02	0.01
34	उत्तराखंड	2.25	2.57	2.40	0.40	0.46	0.38	0.10	0.11	0.06	0.38	0.34	0.31
35	उत्तर प्रदेश	74.00	84.55	74.13	23.00	29.02	25.76	3.50	3.74	2.78	8.00	8.20	6.26
36	पश्चिम बंगाल	14.43	16.08	12.78	4.05	4.48	3.94	3.20	3.89	3.06	10.12	13.16	11.39
	अखिल भारत	**350.64**	**406.49**	**350.51**	**107.76**	**133.98**	**119.18**	**35.51**	**44.56**	**34.32**	**108.00**	**156.55**	**125.82**